

3 वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर पदस्थ अभियंताओं के स्थानांतरण हेतु वांछित जानकारी

1. नाम (पूरा नाम लिखे)–
.....
2. पिता का नाम—
.....
3. पदनाम—
 - I. वरिष्ठ पद का प्रभार होने की स्थिति में—
.....
 - II. वरिष्ठ पद का प्रभार नहीं होने की स्थिति में—
.....
4. जन्मतिथि—
.....
5. श्रेणी ((सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.)—
.....
6. इंजीनियरिंग ब्रांच (सिविल/इलेक्ट्रीकल)—
.....
7. शैक्षणिक योग्यता (डिप्लोमा/डिग्री)—
.....
8. गृह जिला—
.....
9. वेतन आहरणकर्ता कार्यालय का नाम—
(कार्यपालन यंत्री कार्या./जनपद पंचायत/जिला पंचायत/अधीक्षण यंत्री कार्या./मुख्य अभियंता कार्या.)
10. जनपद पंचायत/जिले का नाम, जहां कार्यालय स्थित है
.....
11. जिला, जहां कार्यालय स्थित है—
.....
12. मूल विभाग का नाम
(ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/जल संसाधन विभाग/ लोक निर्माण विभाग/ नगरीय प्रशासन विभाग/ मत्स्य विभाग/
शिक्षा विभाग/ तिलहन संघ/अन्य)
.....
13. मूल विभाग में धारित पद—
.....
14. प्रतिनियुक्ति पर आने के प्रकरण में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति दिनांक—
.....
15. क्या वर्तमान में निलंबित है (हाँ/नहीं) —
यदि हाँ तो निलंबन का दिनांक—
.....
16. वर्तमान एवं पूर्व पदस्थापनाओं का विवरण

क्र.	कार्यालय का नाम, जिसमें पदस्थ रहे	जनपद पंचायत/जिले का नाम, जहां कार्यालय स्थित है	जिला	कब से	कब तक	पदनाम

17. आवेदक का मोबाइल नम्बर—
.....

18. स्थानांतरण के लिए तीन वैकल्पिक जिलों का नाम (जहां पूर्व में पदस्थ न रहे हों)–

1. 2. 3.

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है, यदि भविष्य में जानकारी असत्य पायी जाती है तो मेरा स्थानांतरण निरस्त करने एवं दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु शासन/विभाग स्वतंत्र होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम—

(3 वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर पदस्थ जो अभियंता यह प्रपत्र निर्धारित तिथि तक भरकर प्रस्तुत नहीं करता है, उसका वरिष्ठ अधिकारी उक्त प्रपत्र संबंधी जानकारी एकत्रित कर उनकी जानकारी एम.आई.एस. में प्रविष्ट करेगा एवं ऐसे अभियंताओं के लिए स्थानांतरण के लिए वैकल्पिक क्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश माना जावेगा)